



उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की

लखनऊ, कानपुर, इटावा, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, गोण्डा व अन्य शहरों की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को

ई-नीलामी
द्वारा पाने का
सुनहरा
अवसर

ई-नीलामी पोर्टल

<https://upavpauction.procure247.com/>

आवासीय सम्पत्तियों हेतु

पंजीकरण व टोकन धनराशि
जमा अवधि:-

दिनांक:- 17.12.2023 से
दिनांक:- 27.12.2023 तक

ई-नीलामी

दिनांक:- 28.12.2023

व्यावसायिक भूखण्ड/सम्पत्तियों एवं प्रीमियम भूखण्ड सम्पत्तियों हेतु

पंजीकरण व टोकन धनराशि
जमा अवधि:-

दिनांक:- 17.12.2023 से
दिनांक:- 28.12.2023 तक

ई-नीलामी

दिनांक:- 29.12.2023

गुपु हाउसिंग/संस्थागत / नर्सिंग होम/ पेट्रोल पम्प व अन्य सम्पत्तियों हेतु

पंजीकरण व टोकन धनराशि
जमा अवधि:-

दिनांक:- 17.12.2023 से
दिनांक:- 29.12.2023 तक

ई-नीलामी

दिनांक:- 30.12.2023

नियम व शर्तें : (1) मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (2) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (3) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (4) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली में प्रावधानित व्यवस्था के अधीन की जाएंगी।

विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा

ई-नीलामी पोर्टल https://upavpauction.procure247.com पर लॉग-इन करें।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे तक)

टोल-फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक)

ई-मेल: tapan@tender247.com, mahesh.baku@procure247.com, helpdesk@procure247.com